पत्रांक–11/चक0गान0–15–02/2022............................/चक0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(चकबंदी निदेशालय)

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा0प्र0से0,
निदेशक चकबंदी–सह–सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,
गुलजारबाग, पटना–7.

पटना, दिनांक ..../

विषय :– बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना–7 में चकबंदी अमीनों/प्रारूपक की प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 540 दिनांक 27.06.2025.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा चकबंदी के स्तर से चक मानचित्र की अंतिम मुद्रण हेतु तकनीकी जाँच एवं मुद्रित प्रति का Mother Map से मिलान करने हेतु प्रारूपक/अमीन में श्री अवध किशोर यादव, संविदा प्रारूपक एवं श्री निवास पंडित, श्री ब्रजकिशोर सिंह, संविदा अमीन की प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया गया है।

श्री अवध किशोर यादव, संविदा प्रारूपक एवं श्री निवास पंडित, श्री ब्रजकिशोर सिंह, संविदा अमीन की प्रतिनियुक्ति में ग्रामीणों द्वारा मुद्रित प्रति का Mother Map में मिलान के क्रम में खेसरा के लाईन में छेड़–छाड़ करने की शिकायत के क्रम में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से प्रतिनियुक्ति समाप्त की गयी थी।

जहाँ तक चक मानचित्र की मुद्रित प्रति को Mother Map से चकबंदी के प्रारूपक/अमीनों से मिलान करने का प्रश्न है?

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या–180 दिनांक 04.02.1971 के द्वारा उप निदेशक, चकबंदी को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत बंगाल सर्वे अधिनियम के अन्तर्गत सर्वेक्षण अधीक्षक (Superitendent of Servey) तथा अधिसूचना संख्या–174 दिनांक 04.02.1971 द्वारा सभी चकबंदी पदाधिकारी को अपने–अपने क्षेत्र के अधीन सर्वेक्षण सहायक अधीक्षक की शक्तियाँ सरकार की ओर से प्रदान की गई है।

उक्त के आलोक में चकबंदी मानचित्रों पर सहायक सर्वेक्षण अधीक्षक के रूप में चकबंदी पदाधिकारी के साथ–साथ सर्वेक्षण अधीक्षक के रूप में उप निदेशक, चकबंदी के द्वारा हस्ताक्षर कर अंतिम रूप से Mother Map सीधे मुद्रण हेतु बिहार सर्वेक्षण कार्यालय में भेजे जाने हेतु निदेशालय पत्रांक 2406/चक0 दिनांक 04.08.1989 से सभी संबंधित को पूर्व में ही पत्र निर्गत किया जा चुका है।

D:\Back up Anat System 18-02-2025\Anul Kumar Srivastav\New System Data\Anul Kumar Srivastava\Jitendra sir\draft formate doc.docx

Jul 22, 2025, 20:08

Scanned with OKEN Scanner

उप निदेशक, चकबंदी से हस्ताक्षरित Mother Map बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को प्राप्त होने के उपरांत अंतिम चक मानचित्र की पूर्ण रूप से शत् प्रतिशत गुणवत्ता के साथ मुद्रण की कार्रवाई करना बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग का दायित्व होता है।

उक्त के आलोक में Mother Map से मुद्रित चक मानचित्र की प्रति का मिलान करने हेतु संबंधित राजस्व ग्राम के चक मानचित्र की तैयारी जिस अमीन द्वारा की गई है, उसी अमीन को मिलान करने हेतु प्राधिकृत उप निदेशक, चकबंदी अपने स्तर से करेंगे। जहाँ तक प्रारूपक का प्रश्न है, उस राजस्व ग्राम के संबंधित प्रारूपक को भी उप निदेशक, चकबंदी ही प्राधिकृत करेंगे। उक्त अमीन/प्रारूपक मिलान का कार्य समाप्त होने के पश्चात् पुनः अपने–अपने कार्यालय के लिए स्वतः विरमित समझे जायेंगे। साथ ही यह कार्य मुख्य रूप से उप निदेशक, चकबंदी के निगरानी में सम्पादित किया जायेगा, क्योकि वे ही सर्वेक्षण अधीक्षक के रूप में अधिसूचित है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग में चक मानचित्र का Mother Map से मिलान करने हेतु सीधे उप निदेशक, चकबंदी से पत्राचार करेंगे तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अमीन एवं प्रारूपक द्वारा ही मिलान का कार्य सम्पन्न किया जाएगा। तदोपरान्त संबंधित राजस्व ग्रामों का अंतिम मुद्रण की कार्रवाई किया जाना विधिसम्मत है।

अतः उक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करे।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राकेश कुमार)

निदेशक, चकबंदी–सह–सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक 842 **/चक0, पटना, दिनांक** 03-07-2025

प्रतिलिपि :– सभी उप निदेशक चकबंदी/सभी चकबंदी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक, चकबंदी को निदेश दिया जाता है कि Mother Map से मिलान करने हेतु प्राधिकृत अमीन/प्रारूपकों के कार्यों का सतत् अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

(राकेश कुमार)

निदेशक, चकबंदी–सह–सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

Jul 22, 2025, 20:08

Scanned with OKEN Scanner